राजस्थान सरकार

कार्यालय उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सलूम्बर।

क्रमांक :– एफ () विज्ञप्ति / 2025/ राजकाज दिनांक 13.02.2026

:–विज्ञप्ति 02 / 2025:–

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 एवं संशोधित दिशा निर्देश पत्र क्रमांक 57871–58286 दिनांक 01.03.2024 के अनुसरण में सलूम्बर जिले की निम्नलिखित परियोजनाओं में कार्यकर्ता, सहायिका एवं शिशु पालना गृह कार्यकर्ता के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालयों में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है –

क्र. सं.	परियोजना	रिक्त पदों का संख्यात्मक विवरण		ई–मेल आईडी
		कार्यकर्ता	सहायिका	
1	सलूम्बर	1	6	cdposalumber@gmail.com
2	झल्लारा	3	3	cdpojhallara@gmail.com
3	लसाड़िया	1	4	cdpolasadiya@gmail.com
4	सराड़ा	3	6	cdposarada@gmail.com
5	जयसमंद	2	3	cdposarada@gmail.com

नोट :– रिक्त पदों की आंगनबाडी केन्द्रवार आरक्षण सहित विस्तृत जानकारी / शर्तें ब्लॉक स्तर पर सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालयों के नोटिस बोर्ड एवं विभागीय वेबसाईट https://wcd.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। इस विज्ञप्ति में उल्लेखित आगनबाडी केन्द्रों के मानदेय कार्मिकों के रिक्त पदों पर सम्बन्धित सीडीपीओ कार्यालयों मे आवेदन पत्र जमा करवाने की अन्तिम दिनांक 13.03.2026 को सांय 05.00 बजे तक है। आवेदन फार्म सीडीपीओ कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाईट से भी प्राप्त कर संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में जमा करवाये जायेगें।

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
सलूम्बर।

Signature Not Verified

Digitally signed by RAJESH SHARMA
Designation : Deputy Director
Date: 2026.02.13 17:10:49 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20534935

eSign 1.0

कार्यालय उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सलूम्बर।

क्र. स.	परियोजना	सेक्टर	विज्ञप्ति में सम्मिलित किए जाने हेतु आंगनवाडी केन्द्र का नाम जहां पद रिक्त है					श्रेणी (अनुसूचित जाति/जनजाति/ अल्पसंख्यक/अनारक्षित)
			ग्राम पंचायत	राजस्व गांव का नाम	आंगनवाडी केन्द्र का नाम	कार्यकर्ता	सहायिका	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
परियोजना सलूम्बर cdposalumber@gmail.com								
1	सलुम्बर	बरोडा	नोली	नोली	नोली B	1	–	ST
2	सलुम्बर	बरोडा	सुण्डियावाडा	धारोद	सुण्डियावाडा	–	1	अनारक्षित
3	सलुम्बर	गिंगला 1	ईडाणा	लोदा	लोदा 2	–	1	अनारक्षित
4	सलुम्बर	गिंगला 1	सराडी	एकलव्य नगर	नया मीनवाडा	–	1	ST
5	सलुम्बर	गिंगला 1	कांट	कांट	सतुपुरा	–	1	ST
6	सलुम्बर	गिंगला 2	कडूणी	कडूणी	कडूणी 2	–	1	ST
7	सलुम्बर	सलुम्बर	इसरवास	जोधसागर की भागल	जोधसागर की भागल	–	1	ST
झल्लारा cdpojhallara@gmail.com								
1	झल्लारा	देवगॉव	खोलडी	खोलडी	खोलडी	1	–	अनारक्षित
2	झल्लारा	मालपुर	सरवणी	वेण	वेण	1	–	ST
3	झल्लारा	मालपुर	बनोडा	बनोडा	बनोडा प्रथम	1	–	अनारक्षित
4	झल्लारा	भबराना	लिम्बोदा	मूलगडा	मूलगडा	–	1	अनारक्षित
5	झल्लारा	भबराना	भबराना	भबराना	भबराना प्रथम	–	1	अनारक्षित
6	झल्लारा	झल्लारा	माण्डली	उमडाफला	उमडाफला	–	1	ST
लसाड़िया cdpolasadiya@gmail.com								
1	लसाडिया	लसाडिया	लसाडिया	लसाडिया	कतारफला	1	—	ST
2	लसाडिया	धावडी	धावडी	राठौडों का गुडा	राठौडों का गुडा	—	1	ST
3	लसाडिया	धावडी	मानपुरियों का गुडा	गोपालपुरा	गोपालपुरा	—	1	ST
4	लसाडिया	लसाडिया	ओवरा	ओवरा	लिफाफा	—	1	ST
5	लसाडिया	बेडावल	सती की चोरी	सेलपुर	सेलपुर	—	1	ST
सराड़ा cdposarada@gmail.com								
1	सराडा	सगतडा	सगतडा	ढाकरडा	ढाकरडा	–	1	अनारक्षित
2	सराडा	टोकर	जाम्बुडा	जाम्बुडा	जाम्बुडा 1	–	1	

Signature Not Verified

Digitally signed by RAJESH SHARMA
Designation : Deputy Director
Date: 2026.02.13 17:10:49 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20534935

eSign 1.0

3	सराडा	सगतडा	बाणाखुर्द	बाणाखुर्द	भैरवा	—	1	अनारक्षित
4	सराडा	बडगॉव	श्यामपुरा	जोधपुरिया	जोधपुरिया	—	1	ST
5	सराडा	टोकर	टोकर	टोकर	टोकर 1	1	—	अनारक्षित
6	सराडा	चावण्ड	बडावली	बडावली	राताखेत	—	1	ST
7	सराडा	सगतडा	सगतडा	सगतडा	सगतडा 2	—	1	अनारक्षित
8	सराडा	चावण्ड	कातनवाडा	कातनवाडा	कातनवाडा	1	—	अनारक्षित
9	सराडा	परसाद	खरबर अ	खरबर अ	खरबर स	1	—	ST
जयसमंद (सराड़ा) cdposarada@gmail.com								
1	जयसमंद	देवपुरा	धावडिया	महुवाडा	आमरा	1	—	ST
2	जयसमंद	जावद	सेमाल	सेमाल	सेमाल	1	—	अनारक्षित
3	जयसमंद	पलोदडा	पीलादर	चन्दा जी गुडा	चन्दा जी गुडा	—	1	ST
4	जयसमंद	जवारडा	अदवास	अदवास	अदवास 1	—	1	अनारक्षित
5	जयसमंद	झाडोल	झाडोल	झाडोल	तलाई	—	1	ST

चयन हेतू पात्रता/शर्तेः—

1. आवेदन पत्र की हार्ड कापी मय संलग्न दस्तावेजों के संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय मे व्यक्तिशः/रजिस्टर्ड़ डाक द्वारा संबंधित परियोजना कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन पत्र दो प्रतियों में संलग्न समस्त वाछिंत स्वयं प्रमाणित दस्तावेजान के मय पृष्ठ संख्या अंकित करते हुये एक समानंता के क्रम में दिनांक 13.02.2026 से दिनांक 13.03.2026 तक कार्यालय समय 5.00 बजें तक जमा कराये जा सकेगे।

2. विज्ञप्ति के संबंध में परियोजनावार/आंगनबाडी केन्द्र वार/ग्राम पंचायत वार/वार्ड वार रिक्त पदो तथा पात्रता आदि संबंधी विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट http://www.wcd.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन करने वाली महिला जिस आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है, उस राजस्व ग्राम की निवासी होनी चाहिए। शहरी क्षेत्र में आवेदन करने वाली महिला जिस आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है, उसी शहरी वार्ड की निवासी होना चाहिए। (मूल निवासी होने का आधार हेतु दस्तावेजों की छाया प्रति मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/जन आधार कार्ड/आधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र/ग्राम विकास अधिकारी अथवा सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र में से कोई भी दो वांछनीय दस्तावेजो की छाया प्रति का उल्लेख आवेदन पत्र में किया जाये जो स्वयं प्रमाणित हो) विधवा महिला व तलाकशुदा महिला को ससुराल व मायके दोनों स्थानों के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा।

3. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका हेतु न्युनतम योग्यता बारहवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है

4. आवेदन पत्र के साथ (1)अधिकतम शैक्षणिक योग्यता सम्बंधी अंकतालिका/प्रमाणपत्र, (2)सैकण्डरी,सीनियर सैकण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण पत्र (3)बीएड/एनटीटी/डीपीएसई डिप्लोमा (यदि लागु हो तो) (4) मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/जन आधार कार्ड (5) अनुसुचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक वर्ग/दिव्यांगजन होने का प्रमाण पत्र (यदि लागु हो तो) (6) आं

Signature Not Verified
Digitally signed by RAJESH SHARMA
Designation : Deputy Director
Date: 2026.02.13 17:10:49 IST
Reason: Approved

कार्यकर्ता/सहायिका/आशा सहयोगिनी /साथिन के रूप में 01 वर्ष का कार्यानुभव प्रमाण पत्र (यदि लागु हो तो) (7) एएनएम/जीएनएम/आर्युवेद नर्सिंग/ RSCIT/PGDCA के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागु हो तो) (8) विधवा का प्रमाण पत्र (यदि लागु हो तो) इत्यादि दस्तावेजो की स्वप्रमाणित प्रति अनिवार्यतः संलग्न की जावे। दस्तावेजो के आधार पर ही मूल्यांकन प्रपत्र तैयार किया जावेगा।

5. वैवाहिक स्थिति– आंगनबाड़ीकर्मी के पद पर आवेदन हेतु विवाहित एवं अविवाहित महिला दोनो पात्र होगी। किन्तु विवाह अथवा अन्य किसी कारण से यदि महिला स्थानीय निवासी नहीं रहती है तो स्वतः ही मानदेय सेवा समाप्त मानी जायेगी। इस आशय का अण्डर टेंकिग(शपथ पत्र) आवेदन करते समय ही देना होगा।

6. आयु– आवेदन के लिए न्युनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होगी (विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को)। अनुसूचित जाति,जनजाति, विधवा, विशेष योग्यजन (गति आधारित– प्रमस्तिष्क घात,रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित, पेशीय दुष्पोषण) के प्रकरण में अधिकतम् आयु 40 वर्ष तक की होगी। (विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को)• विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र व पुनर्विवाह नहीं किया है, इसका आवेदन पत्र की घोषणा में अंकन आवश्यक है। तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम न्यायालय से जारी आदेश/डिक्री की छाया प्रति को आवश्यक रूप से दस्तावेजों में संलग्न किया जावे।

7. जिन केन्द्रों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग का है, को उन केन्द्रों हेतु अनिवार्यतः उसी वर्ग की महिला का चयन किया जाएगा। कवरेज में जनसंख्या की गणना मुख्यतया आंगनवाडी केन्द्र के सर्वे रजिस्टर के आधार पर एवं संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी की सूचना के आधार पर ही की जायेगी।

8. संबंधित आरक्षित श्रेणी के आवेदन प्राप्त नही हानें पर विज्ञप्ति को निरस्त कर उक्त पद को आगामी विज्ञप्ति में शामिल किया जावेगा।
9. विज्ञप्ति मे ंबाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार ही अंकन किया गया है। जिस का रिकॉर्ड से मिलान करने पर प्रमाणिक रूप से जनसंख्या बाहुल्य पाए जाने पर ही यह नियम लागू होगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी की होगी।
10. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी–लेयर के जारी प्रमाण पत्र सम्बंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष पूर्व से अधिक पुराना प्रमाणपत्र मान्य नही होगा।
11. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जारी परिपत्र क्रमांक 28046 दिनांक 06.05.2022 के अनुसार आर्थिक कमजोर वर्गो (EWS) के व्यक्तियों को जारी किये जाने वाले प्दबवउम – ेमज ब्मतजपपिबंजम की वैधता के अनुसार एक बार प्दबवउम – ेमज ब्मतजपपिबंजम जारी होने के उपनरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित निर्धारित वर्णित शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को ही मान लिया जायेगा, ऐसा अधिकतम 03 वर्श के लिये किया जा सकता है। जारी होने की तिथि से 3 वर्ष पूर्व से अधिक पुराना प्रमाणपत्र मान्य नही होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by RAJESH SHARMA
Designation : Deputy Director
Date: 2026.02.13 17:10:49 IST
Reason: Approved

12. आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में ही किया जाना अनिवार्य है।
13. आवेदन फार्म बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाईट से प्राप्त किये जा सकते है।
14. योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र दो प्रतियों में समस्त वांछित दस्तावेज सहित पृष्ठ संख्या अंकित करते हुए संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिशः/रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा अन्य माध्यम द्वारा संबंधित परियोजना कार्यालय की ई–मेल पर विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक 13.02.2026 से दिनांक 13.03.2026 तक कार्यालय समय 5.00 बजें तक जमा कराये जा सकेगे।

15. विज्ञप्ति सम्बंधी विस्तृत जानकारी उपनिदेशक कार्यालय/संबंधित बाल विकास परियोजना अधि0 कार्यालय/विभागीय वेबसाईट http://www.rajasthyan.gov.in पर उपलब्ध परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 एवं संशोधित दिशा निर्देश पत्र क्रमांक 57871–58286 दिनांक 01.03.2024 से प्राप्त की जा सकती है।
16. आवेदन पत्र जमा कराने की प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करे।
17. किसी भी परियोजना कार्यालय के रिक्त पदो की जारी विज्ञप्ति को अथवा किसी भी कार्यकर्ता या सहायिका के रिक्त पद की जारी विज्ञप्ति को निरस्त कर बिना कारण बताये विलोपित या निरस्त किया जाने का अधिकार उपनिदेशक को होगा।

क्रमांकः–मबावि/2025–26/राजकाज दिनांकः–13.02.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान निदेशक महोदय, समेकित बाल विकास सेवाऐं, राजस्थान जयपुर को भेजकर निवेदन है कि मानदेयकर्मियो के रिक्त पदो पर चयन हेतु विज्ञप्ति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, सलूम्बर।
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया, जिला परिषद् उदयपुर।
4. सम्पादक राजस्थान पत्रिका सलूम्बर को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार विज्ञप्ति प्रथम पृष्ठ का प्रकाशन डीपीआईआर की निर्धारित दरो पर न्यूनतम स्पेस में सलूम्बर संस्करण में प्रकाशित करवा बिल भिजवाने का श्रम करावे।
5. उपखण्ड अधिकारी समस्त जिला सलूम्बर।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त जिला सलूम्बर।
7. बाल विकास परियोजना अधिकारी समस्त जिला सलूम्बर को भेजकर लेख है कि विज्ञप्ति जारी होने के साथ ही आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि के पश्चात् परिपत्रानुसार दी गई समय सीमा में चयन हेतु नियमानुसार चयन कार्यवाही करवाने की सुनिश्चितता करे।

(राजेश शर्मा)
उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
सलूम्बर।

Signature Not Verified

Digitally signed by RAJESH SHARMA
Designation : Deputy Director
Date: 2026.02.13 17:10:49 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20534935

eSign 1.0